भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्नल संख्या)1998

जिसका उत्तार शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों और कीटनाशकों का मूल्या कम करना

1998. श्री अबू ताहेर खान:

क्यार रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यास कृषि क्षेत्र के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों के मूल्यों को काफी कम किए जाने की आवश्यककता है ताकि सीमांत किसान अपनी अल्पक आय में वृद्धि कर सकें
(ख) क्या वर्तमान में सीमांत किसानों को बाजार से कीटनाशक और उर्वरक बहुत ऊंचे दामों पर खरीदने पड़ते हैं जिसके परिणामस्वारूप उन्हेंो आर्थिक हानि उठानी पड़ रही; हैऔर
(ग) यदि हां , तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि सर्वोत्तकम कीटनाशक और उर्वरक वहनीय मूल्योंर पर उपलब्ध ?हों

उत्त र

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यन मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) स (ग): उत्पादन लागत पर ध्यान दिए बिना किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की सब्सिडी प्राप्त एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी है (नीम लेपन के प्रभार और लागू करों को छोड़कर)। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के मामले में , सरकार ने 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति को लागू किया है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादकों/आयातकों को सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्व मात्रा अर्थात नाइट्रोजन (एन) , फॉस्फोरस (पी), पोटैशियम (के) और सल्फर (एस) के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि दी जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार लाया जा सके। एनबीएस नीति के अंतर्गत एमआरपी उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित की जाती है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है।

तदनुसार, सब्सिडी स्कीमों के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश , 1985 के अनुसार उर्वरकों की बिक्री वहनीय दरों पर की जाती है। उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)- 1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन निर्धारित किए गए हैं। कोई भी उर्वरक , जो उक्त विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है , को कृषि प्रयोजन के लिए देश में नहीं बेचा जा सकता है। एफसीओ के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री अथवा उत्पादन का सख्ती से निषेध किया गया है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं और इस प्रकार की बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है।

कीटनाशकों के मामले में , कीटनाशी अधिनियम , 1968 और कीटनाशी नियम , 1971 में कीटनाशकों की कीमतों को विनियमित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। कीटनाशकों की कीमत निर्धारण बाजार से प्रेरित होती है और उचित मूल्यों पर कीटनाशकों को उपलब्ध कराने के लिए पंजीकरण समिति जेनेरिक कीटनाशकों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र शीघ्रता से प्रदान करती है।

****